

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,

7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015

दूरभाष: (079) 26303612 ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com फ़ैक्स: (079) 26303607


DGHRD/AC-DC/230/2014

स्थापना आदेश सं. -55/2014 का शुद्धिपत्र

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2014

विषय : उप / सहायक आयुक्त की श्रेणी में स्थानान्तरण के बारे में।

उप / सहायक आयुक्त की श्रेणी में स्थानान्तरण से संबंधित इस कार्यालय सं. फा. सं. II/03-09/CCO/2014 से जारी स्थापना आदेश संख्या: 55/2014 (DGHRD/AC-DC/230/2014) दिनांक: 15.10.2014 के आंशिक सुधार के क्रम में श्री तुहिन कुमार मल्लोत, सहायक आयुक्त के वर्तमान तैनाती स्थल को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद" के स्थान पर "सेवा कर, अहमदाबाद" रखा जाये।


(ज. मनोज कुमार रजवार)
अवर आयुक्त

फा. सं. II/03-09/CCO/2014

दिनांक: 15.10.2014

संक्षिप्त प्रेषित :

1. सचिव (का. व स.), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनाार्थ।
2. सचिव (द्वैत्रीय), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सूचनाार्थ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सूचनाार्थ।
4. अध्यक्ष के निजी सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद।
6. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद।
7. महानिदेशक/महानिदेशक संसाधन विभाग महानिदेशालय, 409/8, दीनशिव दिवडिया, राजीव गान्धी, नई दिल्ली-110 008 को सहित संख्या 8/DR/01/HRM(HRD)/2014(PH) दिनांक 15.10.2014 से जारी केन्द्रीय आदेश संख्या DGHRD/AC-DC/230/2014 के अंतर्गत के संदर्भ में।
8. महानिदेशक, र.जी. (ऑडिट), अहमदाबाद।
9. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III/III/सेवा कर/राजकोष अहमदाबाद/ऑडिट-I, ऑडिट-II एवं ऑडिट-III/कच्छ।
10. आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद-III/III/सेवा कर/राजकोष अहमदाबाद।
11. मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III/III/सेवा कर/राजकोष अहमदाबाद।
12. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद।
13. अधीक्षक (रिस्टाल), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III/III/सेवा कर/राजकोष अहमदाबाद (इस आदेश की प्रतिलिपि रिस्टाल को भेजी जायेगी और अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त किया जाता है)।
14. सी.एस.ओ.।
15. कार्यालय प्रमुख।